सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 अप्रील, 2018

षोडश विधान सभा 02 अप्रील, 2018 ई0

-------------- सोमवार, तिथि ---------------

नवम् सत्र 12 चैत्र, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

(व्यवधान)

क्या है ?

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा भारत बंद है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ पूरे दलित समुदाय ने पूरा भारत बंद कर रखा है और जिस तरह से पूर्व काल में दलितों के साथ....

अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं श्याम रजक जी ?

श्री श्याम रजक : सर, पूरा भारत बंद है और दलितों के साथ पूर्व काल में जिस तरह शस्त्र और शास्त्र से अलग किया गया, उसी तरह से आज उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उसकी खामियाजा भुगतने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, कोई बात अपनी जगह पर जाकर माननीय सदस्य कहेंगे, तब न सुनी जायेगी तो ये सीधे वेल में आ जा रहे हैं, वेल में आने का औचित्य क्या है? अगर आसन उनकी बात को नहीं सुने, तभी न वेल में आना चाहिए । जब आसन बात को सुनने के लिए तैयार है तो वेल में क्यों आ रहे है, वेल में आकर हंगामा क्यों कर रहे हैं, सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? क्या ये चाहते हैं कि सदन नहीं चले, क्या ये चाहते हैं कि प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल नहीं हो ? महोदय, सब के लिए नियम बने हुए हैं । जो सवाल उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है, नियमावली के हिसाब से प्रश्नों को लायेंगे तो उसका सरकार उत्तर भी देगी । क्या सवाल उठा रहे हैं, वह पता ही नहीं चल रहा है । अलग-अलग नारे, अलग-अलग सवाल तो इस तरह से सदन कैसे चल सकता है? इसलिए अपनी सीट पर जाकर बात कहें तो बेहतर होगा महोदय । माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं कि

कोई भी बात, अपने आसन पर जाकर, अपनी जगह पर जाकर अपनी बात को रखें तो ज्यादा बेहतर होगा महोदय ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : केन्द्र की सरकार 9वीं अनुसूची में डाले ताकि जो साजिश हो रही है उनके अधिकारों को वंचित करने का, वह वंचित नहीं हो ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय....

अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीट पर जाइए, आपके नेता बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : आज फिर से भारत गुलाम नहीं हो, दलितों के अधिकारों को दिया जाय और यहां से प्रस्ताव भेजा जाय भारत सरकार को कि 9वीं अनुसूची में डालकर और जो साजिश हो रही है अधिकारों से वंचित करने का, वह अधिकार उनको मिले, यह मैं कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । नेता प्रतिपक्ष । आप लोग अपनी जगह पर जाइए न, अच्छे से सुनियेगा । अपनी जगह पर जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुन लिया जाय । अध्यक्ष महोदय, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को लेकर आज पूरा भारत बंद है, जिसमें बहुसंख्यक, जितनी आबादी एस0सी0, एस0टी0, सब लोग सड़क पर खड़े होकर भारत बंद कराने का काम कर रहे हैं । हम जिनके लिए राजनीति करते हैं, जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, अगर वे बाहर खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं अपनी सुरक्षा को लेकर तो हम सदन के माध्यम से तो यह चाहेंगे कि पूरा सदन मिलकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि ऑर्डिनेंस लाया जाय और ऑर्डिनेंस ला करके नाइंथ शेड्युल में डाला जाय ।

(व्यवधान)

जिनके लिये हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम उनकी बात जनतंत्र की मंदिर में नहीं रखेंगे तो इस विधान सभा में हमलोगों को रहने का क्या मतलब है महोदय । महोदय, इस विषय को हमलोग इसलिये चाहते हैं कि एस0सी0एस0टी0ऐक्ट जो हैं,

(व्यवधान)

भारत सरकार ऑर्डिनेंस लाने का काम करे । महोदय, आज भारत बंद है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्या यह चर्चा का विषय है ? यह चर्चा का विषय है क्या? जिन विषयों को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, क्या यह चर्चा का विषय है महोदय ? क्या यह सदन का विषय है ? अगर सदन का विषय नहीं है तो इस मामले को रखने का क्या औचित्य है महोदय ? कोई भी बात रखने के लिए कार्य संचालन नियमावली बना हुआ है महोदय । भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामला है तो इन बातों को रखने से क्या फायदा ? इसपर कोई

बात नहीं होनी चाहिए । हाऊस को और्डर में होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्यगण, यह मुद्दा पिछले कई दिनों से इस सदन में उठता रहा है । यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से निकला है और इसकी तरह-तरह से व्याख्या हो रही है । मैंने पीछे भी कहा था और जो समाचार-पत्रों के माध्यम से बातें आ रही हैं, जो माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी कहा कि बिहार बंद, भारत बंद का आह्वान है, अलग-अलग राजनीतिक दलों ने..

(व्यवधान)

वीरेन्द्र जी, मुझे बोल लेने दीजिए न । वीरेन्द्र जी बोल लेने दीजिए । अलग-अलग राजनीतक दलों ने उनको अपना समर्थन भी दिया है, आज समाचार-पत्रों के माध्यम से आ रही है कि राजनीतिक दल माननीय उच्चतम न्यायालय के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका भी डाल रहे हैं । यह इस सरकार या उस सरकार से जुड़ा मुद्दा है नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने पहले के आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है....

(व्यवधान)

आप पहले सुन लीजिए न, नहीं तो आप यहीं से फैसला लिख लीजिए। इसी सदन से आप फैसला लिख लीजिए, उस पर पुनर्विचार हो जायेगा । नहीं, इस तरीके से तो नहीं होगा ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/शंभु/02.04.18

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

अब क्या हो गया ? क्या है ?

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : महोदय, दलितों के द्वारा स्वत: हुआ है हम उसको बधाई देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : भारत बंद है, वह तो सुबह में ही हो गया ।

श्री श्याम रजक : उसको हम बधाई देना चाहते हैं और आग्रह फिर से करना चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में...........

अध्यक्ष : आज विधायी कार्य है उसको तो चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : 9वीं अनुसूची में डालने के लिए एक प्रस्ताव पारित हो, महामहिम राज्यपाल जी भी चिंतित हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गए।)

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य(वित्त)मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-255, 256, दिनांक-24.10. 2017/ एस0ओ-257, 258, दिनांक-30.10.2017/ एस0ओ0-263, 264, दिनांक-08. 11.2017/ एस0ओ0-267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 एवं 280, दिनांक-14.11.2017/ एस0ओ0-281, 282, दिनांक-16. 11.2017/ एस0ओ0-294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 एवं 301, दिनांक-22. 11.2017/ एस0ओ0-131, 137, दिनांक-25.01.2018/ एस0ओ0-02, दिनांक-02.01. 2018/ एस0ओ0-123, 124, 125, 126, दिनांक-23.01.2018/ एस0ओ0-129,130,132,133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक-25.01.2018/ एस0ओ0-140, दिनांक-31.01.2018/ एस0ओ0-141, 142, दिनांक-03.02.2018 एवं /एस0ओ0-144, दिनांक-06.02.2018 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-255, 256, दिनांक-24.10.2017/ एस0ओ-257, 258, दिनांक-30. 10.2017/ एस0ओ0-263, 264, दिनांक-08.11.2017/ एस0ओ0-267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 एवं 280, दिनांक-14. 11.2017/ एस0ओ0-281, 282, दिनांक-16.11.2017/ एस0ओ0-294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 एवं 301, दिनांक-22.11.2017/ एस0ओ0-131, 137, दिनांक-25.01.2018/ एस0ओ0-02, दिनांक-02.01.2018/ एस0ओ0-123, 124, 125, 126, दिनांक-23.01.2018/ एस0ओ0-129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक-25.01.2018/ एस0ओ0-140, दिनांक-31.01.2018/ एस0ओ0-141, 142, दिनांक-03.02.2018 एवं /एस0ओ0-144, दिनांक-06.02.2018 की प्रतियाँ सदन पटल पर तीस दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की

धारा-38) के निर्गत अधिसूचना संख्या-261 एवं 262, दिनांक-07.11.2017 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के निर्गत अधिसूचना संख्या-261 एवं 262, दिनांक-07.11.2017 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।
प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-139, दिनांक-30.01.2018 एवं एस0ओ0-143, दिनांक-05.02.2018 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-139, दिनांक-30.01.2018 एवं एस0ओ0-143, दिनांक-05.02.2018 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।
प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, मैं बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा नियमावली, 2004/ बिहार बाल संरक्षण सेवा(भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014/ बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015/ बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017/ बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते)(संशोधन) नियमावली, 2017/ बिहार बाल विकास सेवा(भर्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखती हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) के तहत पत्रांक-976, दिनांक-06.02.14/ अधिसूचना संख्या-5388, दिनांक-20.10.17/ अधिसूचना संख्या-4109, दिनांक-18.08.17/ अधिसूचना संख्या-3614, दिनांक-25.07.17 एवं संकल्प संख्या-1239, दिनांक-09.03.18 द्वारा निर्गत विभागीय नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री अजय कुमार मंडल(सभापति,रा0आ0स0) : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामवली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 246वाँ प्रतिवेदन, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 259वाँ प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 263वाँ प्रतिवेदन एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित 264वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे । बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 । प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

टर्न -3/अशोक/02.04.2018

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । विचार का प्रस्ताव ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग(संशोधन)विधेयक,2018"
पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव

(व्यवधान)

प्रस्ताव नहीं मूव करेंगे ? नहीं करेंगे मूव ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन)विधेयक,2018"
पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव राय का जनमत जानने का प्रस्ताव है ।

क्या माननीय सदस्य,श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य,श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खंड-2 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग(संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो । ”

(व्यवधान)

अध्यक्ष : लिखित दे दीजिये, माननीय मंत्री ने जो लिखित वक्तव्य दिया है वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग(संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग(संशोधन) विधेयक,2018 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,आज दिनांक 02 अप्रील, 2018 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-39 है,अगर सदन की सहमति तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 03 अप्रील, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

बिहार विधान सभा   परिशिष्ट

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 हेतु संक्षिप्त तथ्य।

1. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) द्वारा किया गया है।
2. सम्प्रति राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।
3. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय स्तर से भेजे गये अधियाचना के आलोक में 3364 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
4. अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 11 विषयों में 1354 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध करा दिया गया है तथा इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई भी हो चुकी है।
5. बिहार लोक सेवा आयोग को सभी महत्वपूर्ण विषयों की नियुक्ति हेतु शीघ्र अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया है।
6. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा 11 में वर्णित प्रावधान के तहत इस अधिनियम के प्रभावी होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वर्तमान में की जा रही कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में सहायक प्राचार्य के रिक्त पदों पर की जा रही नियुक्ति की कार्रवाई को बीच में बाधित किया जाना छात्रहित में नहीं हैं।
7. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए गए विज्ञापन के आलोक में वर्तमान में की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी। इसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।